

प्रतिलिपि के आवेदक की		जबकी देने के लिए लिपि तैयार की	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख
Date of Application for the copy	the requisite number of stamps and folios	Date of delivery of the requisite stamp & folios	Date of making over the copy to the applicant
23/11/13	23/11/13	23/11/13	23/11/13

FOLIO NOT AVAILABLE
 रज्जी प्रतिलिपि अंतिम प्रकाशित खतियान के खेसरा संख्या 486 वार्ड सं० 9 मांजी जमशेदपुर अधिरक्षी क्षेत्र, जिला पूर्वी सिंहभूम।
 खतियान नं०.....

खतियान की क्रम सं०	अनिघारी का नाम पिता का नाम जाति और निवास	खेत		भूमी का स्वरूप	रकबा हे० आर० सं०	अभ्युक्ति	स्वत्वाधारी का नाम और उसकी खेबट संख्या मध्यवर्ती भू-स्वामी का नाम और उसका खेबट संख्या यदि हो		(1) अधिपती रैयत कर हेतियत और कम्पे की अवधि। (2) लगान किस प्रकार गिपत किया गया, आरती (प्रोप्रेसिप हो तो विविधियां) (3) कोई विशेष हार्त और अनुबंध बात यदि हो।
		खेसरा संख्या	बोहवी				शेर नगदी लगान वाले हरेक प्लाट के सामने बलाए कि उस पर कब्जा कैसे है	हन्दोबस्त उचित लगान यदि हो 1 लगान 2 सेस	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
486	लतीफुर रहमान पिता सजीत अली	2620		मोती झण्ड	0.02.10	/			
		2621	3- निज 2- विघ्न बस्कार	दो दो नई बस्की एउ बाल	0.15.70	/			
		2622	3- मकड हो 2- विघ्न बस्कार	परानी परमी कानिल आगर	0.92.50	/			
		3			1.10.30	/			

रज्जी प्रतिलिपि
 अंतिम प्रकाशित
 सिंहभूम जिला
 जमशेदपुर

प्रतिलिपिक

तुलना किया
 23/11/13

Certified to be True Copy
 23/11/13
 Clerk to the Settlement office
 is authorised U/s 75 of the
 Indian Evidence Act, 1872

एक प्रमाण अधिपतीस जमशेदपुर जिलाधारी अधिनियम
 1908 की धारा 83(2) तथा अधिनियम 1920 की धारा 10(1)
 के अन्तर्गत प्रमाणित किया गया।
 18. AUG. 1973
 जमशेदपुर जिलाधारी का अधिकार क्षेत्र
 सिंहभूम जिला
 जमशेदपुर

Rehana Khatoun